

झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 22-6-13

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.) अ. के. स. विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796300545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.) अ. के. स.	05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य / 50P470200796300545	752.00

आवंटित राशि - ₹ सात करोड़ बावन लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 8000.00 लाख (₹ अस्सी करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

43

रॉची, दिनांक :-

22-6-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/सिमडेगा/दुमका/सरायकेला-खरसौवा/जमशेदपुर/खूँटी/लोहरदग्गा/गुमला/चाईबासा/साहेबगंज/पाकुड़/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

43

रॉची, दिनांक :-

22-6-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(ऑंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

43

पत्रांक - / रॉची, दिनांक - 22-6-13 परिशिष्ट - 1

मौग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उपशीर्ष-30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.) अ. के. स.
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
बजट उपबंध (वर्ष 2013-14) रु. 8000.00 लाख

(लाख रु० में)

विपत्र कोड-50P470200796300545											
क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण (Phase II)											
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, रौंछी		1	चान्हो	16/03.09.2010	265.270	112.480	0.000	380.000	380.000	
			2	लापुंग	"	288.100	210.313	0.000			
			3	अनगडा	"	165.910	107.623	0.000			
			4	बुडमू	"	250.880	172.750	0.000			
			5	अनगडा	"	163.320	136.535	0.000			
			6	अनगडा	"	192.515	167.782	0.000			
			7	अनगडा	"	202.410	171.824	0.000			
			8	सिल्ली	"	152.760	128.336	0.000			
			9	बुडमू	"	219.360	173.035	0.000			
			10	माण्डर	"	202.930	182.314	0.000			
			11	रातू	"	305.074	195.408	0.000			
			12	बेडो	"	306.100	169.367	0.000			
योग								0.000	380.000	380.000	

(ऑकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौशसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी०सी० निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

विपत्र कोड-50P470200796300545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
								पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी	कुशीनगर	कर्मा	काँची नाला पर श्रृ.चेकडैम	16/03.09.2010	302.960	230.552	0.000	35.000	35.000	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा	मोरेना	भण्डरा	गजनी गाराडीह नाला पर श्रृ.चेकडैम	16/03.09.2010	116.580	88.075	0.000	7.000	7.000	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला	मोरेना		पोटवटा नदी पर श्रृ.चेकडैम का निर्माण	16/03.09.2010	119.741	97.750	0.000			
				चेगरी नदी पर श्रृ.चेकडैम का निर्माण	" "	244.460	186.490	0.000			
				अरिया नदी पर श्रृ.चेकडैम का निर्माण	" "	187.260	162.830	0.000	39.000	39.000	
				कुनदमीना नाला पर श्रृ.चेकडैम का निर्माण	" "	211.837	153.380	0.000			
				मीलमीली नाला पर श्रृ.चेकडैम का निर्माण	" "	215.817	179.060	0.000			
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा	मोरेना		तिरि नाला पर श्रृ.चेकडैम	16/03.09.2010	174.880	158.503	0.000	39.000	39.000	
				जलकीटोली कुदर टोली नाला पर श्रृ.चेकडैम	" "	267.643	222.473	0.000	65.000	65.000	
				मगरनाला पर श्रृ.चेकडैम	" "	151.510	104.630	0.000			
				पतरा नाला पर श्रृ.चेकडैम	" "	172.960	139.071	0.000			
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा	मोरेना	जगन्नाथपुर	कोकुआ नाला पर श्रृ.चेकडैम	16/03.09.2010	120.930	97.063	0.000	65.000	65.000	
			सोनुआ	गोलमुन्डा नाला पर श्रृ.चेकडैम	" "	169.210	134.595	0.000	80.000	80.000	
			ताँतनगर	लोरगढ नाला पर श्रृ.चेकडैम	" "	92.691	72.513	0.000			
							योग	0.000	80.000	80.000	

(अँकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरासिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी०सी० निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

493

22-6-13

विपत्र कोड-50P470200796300545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
								पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला	1	ईचागढ	बोरा तुता नाला पर श्रृ.चेकडैम निर्माण	16/03.09.2010	314.780	212.020	0.000	28.000	28.000	28.000
योग											
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका	1	रामगढ	मधुवन गरदी नाला पर श्रृ.चेकडैम निर्माण	16/03.09.2010	107.590	99.880	0.000	20.000	20.000	20.000
		2	सरैयाहाट	लीलावरन जोरिया पर श्रृ.चेकडैम निर्माण	" "	164.110	150.450	0.000			
योग											
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज	1	बडहरवा	कैयुआ नाला पर श्रृ.चेकडैम निर्माण	16/03.09.2010	43.456	40.880	0.000			
		2	पथना	दारह नाला पर श्रृ.चेकडैम निर्माण	" "	108.680	107.340	0.000	35.000	35.000	35.000
		3	मनडारो	दोमुहानी नाला पर श्रृ.चेकडैम निर्माण	" "	99.700	101.680	0.000			
योग											
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड	1	लिटीपाडा	रोडगो नाला पर श्रृ.चेकडैम निर्माण	16/03.09.2010	162.020	129.790	0.000	35.000	35.000	35.000
		2	पकुडिया	कटालडीही नाला पर श्रृ.चेकडैम निर्माण	" "	80.680	60.220	0.000	42.000	42.000	42.000
योग											
11	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	1	नाला	हदलजोरी जोरिया पर श्रृ.चेकडैम	16/03.09.2010	224.240	206.100	0.000	21.000	21.000	21.000
		2	नारायणपुर	रानीडीह धरमपुर जोरिया श्रृ.चेकडैम निर्माण	" "	216.200	206.530	0.000			
योग											
सकल योग								0.000	21.000	21.000	21.000
सकल योग								0.000	752.000	752.000	752.000
आवंटित राशि - ₹ सात करोड़ बावन लाख मात्र।											

(ऑकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरासिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

43
22-6-13